



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एन०य०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org
पत्रांक-३०८/२४१/एन०य०एल०एम०/२०१५-१६(समीक्षा)



सेवा मे

दिनांक- 22/04/16

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०।
2. समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
जिला नगरीय विकास अभिकरण/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
उ०प्र०।

विषय: परियोजना अधिकारी, डूडा, उ०प्र० एवं एन०य०एल०एम० के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास(SM&ID) के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन की अवधारणा पर संदर्भ संस्थाओं के प्रतिनिधियों की दिनांक 28.04.2016 को एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2016 को समय प्रातः 10:00 बजे से पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ के भूतल स्थित समागम में निदेशक/मिशन निदेशक की उपस्थिति में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त कार्यशाला में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन की अवधारणा पर संदर्भ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शहर समन्वयकों(संदर्भ संस्थाओं के शहर विशेष के प्रभारी प्रतिनिधि जो SHG का कार्य देख रहे हैं को ही प्रतिभाग करना है) एवं स्वयं सहायता समूह(SHG) के रूप में यदि यह कार्य सामुदायिक विकास समिति(CDS) को दिया गया है तो उनकी प्रतिभागिता के साथ-साथ डूडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की परियोजना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जायेगी।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला में दिनांक 28.04.2016 को निर्धारित स्थल पर समय प्रतिभाग करने हेतु योजनाओं की समस्त सूचनाओं सहित परियोजना अधिकारी, डूडा, उ०प्र० एवं समस्त स्वयं सहायता समूहों के गठन की अवधारणा पर समस्त संदर्भ संस्थाओं के शहर समन्वयकों के साथ-साथ यदि स्वयं सहायता समूह का कार्य सामुदायिक विकास समिति(CDS) को दिया गया है तो उनको भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

मवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
2. निदेशक, (य०पी०ए०प्रकोष्ठ) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प को सूचनार्थ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ०प्र० को समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु।
5. सूडा के समस्त पटल प्रभारी को समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु।
6. संबंधित शहर के स्वयं सहायता समूहों के गठन की अवधारणा पर संदर्भ संस्थाओं के शहर समन्वयकों(संदर्भ संस्थाओं के शहर विशेष के प्रभारी प्रतिनिधि जो SHG का कार्य देख रहे हैं को ही प्रतिभाग करना है) के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह(SHG) के रूप में यदि यह कार्य सामुदायिक विकास समिति(CDS) को दिया गया है, को प्रतिभाग करने हेतु।
7. सहायक वेब मार्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. नाजिर, सूडा को व्यवस्था हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक